UPHR010082152025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित–रीता कौशिक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(जे०ओ०कोड–यू०पी० 05728)

दाण्डिक निगरानी सं०–334/2025

श्रीमती पूजा पत्नी शिवकरन निवासी ग्राम माधौपुर, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई।

---------- प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ता

बनाम

1– उ० प्र० सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई।

2– रामनरेश पुत्र अज्ञात (लेखपाल), ग्राम माधौपुर, जिला हरदोई।

3– इमरान पुत्र अज्ञात लेखपाल चकबंदी, ग्राम माधौपुर, जिला हरदोई।

4– अजय सिंह भदौरिया पुत्र अज्ञात कानूनगों ग्राम माधौपुर, जिला हरदोई।

सर्व तैनाम के०टी०एस० अटल चौक हरदोई, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई।

----------उत्तरदातागण

निर्णय

1. प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 438 बी०एन०एस०एस०, निगरानीकर्ता पूजा की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या 1942/2025, पूजा बनाम रामनरेश आदि में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.11.2025, जिसमें निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अं०धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य यह है कि निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी दिनांक 16.06.2025 को समय करीब 01:00 बजे दिन में अपने घर पर थी। तभी अजय सिंह भदौरिया कानून गो, इमरान व रामनरेश लेखपाल पुत्र अज्ञात व एक अन्य व्यक्ति आये थे। प्रार्थिनी से कहा कि तुम्हारी चक काट दिया है, चलकर देख लो। प्रार्थिनी ने कहा कि मेरे पति दवा लेने गये हैं, वो आ जाये तो मैं साथ चलकर देख लूंगी। इस पर उपरोक्त तीनों लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी चलना हो तो चलो, नहीं तो खेत इधर–उधर हो जायेगा और तुम दर–दर भटकती रहोगी। प्रार्थिनी विपक्षीगण की बातों में आ गयी और उनके साथ चली गयी। भूरी के बाग में पहुँचते ही उपरोक्त सभी प्रार्थिनी से अश्लील बातें करने लगे एवं प्रार्थिनी के विरोध करने पर धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा खेत गायब कर देंगे। प्रार्थिनी ने फिर भी विपक्षीगण की यौवन उपकार की मांग को ठुकरा दिया एवं बाग से जाने लगी तो उक्त तीनों लोगों ने पकड़ लिया तथा वहां बाग में गिराकर मुंह दाबकर जबरिया बारी–बारी से बुरा काम किया एवं कहीं बताने या शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पति के आने पर प्रार्थिनी ने आप बीती बतायी।

3. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं०धारा 173(4) भा०नाग०सु०संहिता पर सुनवाई करते हुए निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया।

4. निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी की ओर से निगरानी इस आधार पर संस्थित की गयी है कि विद्वान अवर न्यायालय में थाना द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी जिसके साथ एक लिस्ट संलग्न कर कहा

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.02 15:36:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया कि निम्न लोगों की मौजूदगी में दिनांक 06.06.2025 को नाप की गयी थी, इस कारण इस मय रेप की कोई घटना सम्भावना नहीं हो सकती। संलग्न लिस्ट में लिखे व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु काफी अरसा पूर्व ही हो चुकी है, जिसका प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध होने के बाद भी उसी रिपोर्ट पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। चक तरासी तथा चक नाप दो पृथक–पृथक प्रक्रिया है, यह कहना कि निगरानकर्ता के चक की नाप पहले हो चुकी थी, से अंदाजा लगा कर आदेश पारित कर विद्वान अवर न्यायालय ने महान भूल की है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.11.2025 नियम व कानून के विरूद्ध बिना पत्रावली का परिशीलन किये पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। उक्त आधार पर उसकी निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.11.2025 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. निगरानकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली के आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता दिनांक 23.02.2026 से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आयी है।

6. विपक्षीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये किन्तु उनकी ओर से निगरानकर्ता की निगरानी पर कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

7. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई की तरफ से तर्क व्यक्त किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. निगरानी पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8. निगरानी पत्रावली पर उपलब्ध विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 1.11.2025 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अं०धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में मुख्य रूप से विपक्षीगण द्वारा उसके साथ बारी–बारी बुरा काम करने का आरोप लगाया है।विपक्षीगण द्वारा उसकी पुत्र प्रवीण की मारीपीट कर हत्या किये जाना कहा गया है, जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के उपरांत इस विवेचन के साथ कि "संबंधित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थिनी के खेत की माप दिनांक 31.05.2025 को हो चुकी थी, जिसे प्रार्थिनी के पति द्वारा उक्त विपक्षीगण से अपने खेत की पैमाइश करते समय मनमानी जगह पर खेत लेने हेतु कहा गया, जिस पर उक्त विपक्षीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर प्रार्थिनी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण द्वारा दिनांक 16.06.2025 को चक दिखाने के लिये खेत पर ले जाया गया। दिनांक 16.06.2025 को ग्राम माधोपुर में अन्य व्यक्तियों के खेत की माप की गयी थी। उस समय ग्रामवासी भी मौके पर मौजद थे, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची साथ में संलग्न की गयी है। प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण पर मूल रूप में बलात्कार सम्बन्धी आरोप लगाया है, जिसके सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि जब विपक्षीगण द्वारा उक्त पैमाइश की जा रही होगी, तब गांव के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे तो ऐसे में विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के साथ जबरिया बलात्कार करना सामान्य प्रज्ञा में संदेह से परे है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण पर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया है, परन्तु उसके द्वारा इस बात सम्बन्धित थाने पर कब प्रार्थना पत्र दिया गया है व किसके द्वारा उक्त कथित घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सम्बन्धित थाने पर लिखकर दिलाया गया अथवा नहीं, के बावत उसका कथानक मौन है। प्रार्थिनी का कथानक कपोल कल्पित वू सत्यता से परे प्रतीत होता है। प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रा०पत्र में पर्याप्त विरोधाभाष दर्शित होता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र उ० प्र० वर्णित तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर दबाव बनाने हेतु प्रस्तुत किया है. जो विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति न्यायालय इस स्तर पर प्रस्तुत प्रकरण में अन्य मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का कोई पर्याप्त, विधिसंगत न्यायोचित आधार नहीं है।" निरस्त किया गया है।

9. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधिव्यवस्था **श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य क्रि० अपील संख्या 780/2012** में यह अवधारित किया है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को अपने न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग करना चाहिये तथा न्यायालय को प्रार्थनापत्र मे कहे गये कथनों की वास्तविकता तथा सत्यवादिता का भी पता लगाना चाहिये।

10. **2012 (3) जे0 आई 0 सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट) अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए, जहाँ पर जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है और, बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या विधि विरूद्ध किया गया है।

11. उपरोक्त विवेचनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पर उपलब्ध सभी तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करते हुये विचारण मस्तिष्क का प्रयोग करके, न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2025 पारित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2025 में कोई क्षेत्राधिकार/विधिक त्रुटि नहीं है और न ही कोई तात्विक अनियमितता कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांकित 01.11.2025 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ती की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्ता श्रीमती पूजा की ओर से प्रस्तुत निगरानी तद्नुसार निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 01.11.2025 तद्नुसार पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ आहुत अभिलेख (यदि कोई हो) संबंधित न्यायालय वापस सम्प्रेषित किया जावे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः01.07.2026 **(रीता कौशिक)**
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के उपरान्त खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः01.07.2026 **(रीता कौशिक)**
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।